न्यायालय– न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय हिण्डौन सिटी, जिला करौली।

पीठासीन अधिकारी	– पूजा मीना, आर.जे.एस.
फौजदारी प्रकरण सं.	– 1434/2021
सीआईएस सं.	– 1434/2021
सीएनआर सं.	– RJKR070029962021
एफआईआर सं.	– 424/2021 (पीएस नई मण्डी)

भाग प्रथम

A

परिवादी/मजरूब	श्री बलवान पुत्र श्री सतवीरसिंह, निवासी महू इब्राहिमपुर थाना नई मण्डी हिण्डौन, जिला करौली।
प्रस्तुतकर्ता	सहायक अभियोजन अधिकारी, हिण्डौनसिटी, जिला करौली
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. रामवीर पुत्र श्री अतरसिंह, उम्र 40 साल, 2. श्रीमती गुड्डी पत्नी रामवीर, उम्र 38 साल, 3. श्रीमती सीमा पत्नी श्यामवीर, उम्र 37 साल, निवासीगण महू इब्राहिमपुर, थाना नई मण्डी हिण्डौन, जिला करौली।
अभियुक्तगण अधिवक्ता	श्री जीतेन्द्र शर्मा
परिवादी अधिवक्ता	श्री लखनलाल गोयल

B

अपराध की दिनांक	30.07.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	04.08.2021
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	14.09.2021
आरोप सुनाये जाने की दिनांक	17.11.2021
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	03.08.2022
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	31.07.2026
निर्णय दिनांक	31.07.2026

C

क्र.सं.	**अभियुक्तगण का नाम**	**आरोप अंतर्गत धारा**	**दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध**	**पारित दण्डादेश**
1.	रामवीर	323, 341, 504, 34 भादंसं.	दोषसिद्ध धारा 323, 341, 504, 34 भादंसं.	परिवीक्षा अधिनियम का लाभ

2.	गुड्डी	323, 341, 504, 34 भादंसं.	दोषसिद्ध धारा 323, 341, 504, 34 भादंसं.	परिवीक्षा अधिनियम का लाभ
3.	सीमा	323, 341, 504, 34 भादंसं.	दोषसिद्ध धारा 323, 341, 504, 34 भादंसं.	परिवीक्षा अधिनियम का लाभ

भाग –द्वितीय

अ– अभियोजन गवाहान

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पी.डब्ल्यू.1	डॉ. रामनरेश	चिकित्सीय गवाह
पी.डब्ल्यू.2	राजकुमारी	चश्मदीद गवाह, नक्शामौका गवाह व धारा 164 दंप्रसं
पी.डब्ल्यू.3	बलवान	परिवादी
पी.डब्ल्यू.4	प्रेमसिंह	हालात तफ्तीश

ब– बचाव गवाह

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)

स– न्यायालय गवाह

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह
–	–	–

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ– अभियोजन प्रदर्शः

क्रम सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.1	चोट प्रतिवेदन जोगेन्द्र
2	प्रदर्श पी.2	चोट प्रतिवेदन बलवान
3	प्रदर्श पी.3	चोट प्रतिवेदन राजकुमारी

4	प्रदर्श पी.4	नक्शामौका घटनास्थल
5	प्रदर्श पी.5	बयान धारा 164 दंप्रसं. राजकुमारी
6	प्रदर्श पी.6	इस्तगासा बलवान
7	प्रदर्श पी.7	चाक एफआईआर

ब– बचाव प्रदर्शः

क्रम सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
–	–	–

स– न्यायालय प्रदर्शः

क्रम सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
	––	

द– भौतिक वस्तुएंः

क्रम सं.	भौतिक वस्तु नम्बर	विवरण
–	–	–

निर्णय **दिनांक 31.07.2026**

01– हस्तगत प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, करौली के आदेश क्रमांक 306 दिनांक 03.11.2023 की पालना में न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हिण्डौनसिटी से अंतरित होकर दिनांक 12.08.2024 को इस न्यायालय में प्राप्त हुआ। इस निर्णय के द्वारा पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन, जिला करौली द्वारा अभियुक्तगण रामवीर, गुड्डी व सीमा के विरूद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 323, 341, 504 सपठित धारा 34 भादंसं. का निस्तारण किया जा रहा है।

02– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.08.2021 को मुस्तगीस बलवान का एक इस्तगासा इस आशय का प्राप्त हुआ कि वाक्या दिनांक 30.07.2021 को दिन के 12 बजे के लगभग का है कि उसकी मां राजकुमारी के पास चन्द्रवती व रामवीर एकदम गुस्से में गाली गलौच देते हुए हाथों में लाठी लेकर आए और बोले की तुम्हारी भैंस हमारे खेत में कैसे घुस आई है, तब मां ने कहा कि मुझे पता नहीं भाई चलाकर कौन घुसाएगा। इतना कहते ही दोनों ने उसकी मां को लात घूंसों व लाठी के ठोसों से बुरी तरह मारपीट की। रामवीर ने मां को धक्का देकर बेअदब कर दिया व कपड़े फाड़ दिए। वह बचाने लगा तो रामवीर ने आवाज देकर उक्त सभी को बुला लिया जिन्होंने आकर उसकी लाठियों से मारपीट की जिसके दाहिने पैर में घुटने के पास रामवीर ने लाठी मारी, दूसरी लाठी मानवेन्द्र ने मारी, चाचा जोगेन्द्र बचाने लगा जिसने झगडा देखा है, की भी उक्त लोगों ने

मारपीट की....आदि। उक्त इस्तगासा के आधार पर पुलिस थाना नई मण्डी, हिण्डौन ने मुकदमा नं. 424/21 अपराध अंतर्गत धारा 147, 323, 325, 354(ख), 452 भादसं. में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 323, 341, 504 सपठित धारा 34 भादसं. में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराधों के अंतर्गत प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अभियुक्तगण को उक्त आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

03– अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा पृष्ठ संख्या 02 में भाग द्वितीय में वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाए गए तथा पृष्ठ संख्या 02 व 03 में वर्णित दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए।

04– साक्ष्य अभियोजन की समाप्ति के पश्चात अभियुक्तगण को दंप्रसं. की धारा 313 के तहत परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान अभियुक्तगण ने साक्ष्य अभियोजन पक्ष में प्रस्तुत गवाहान के बयानों को गलत होना बताते हुए कथन किया कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूंठा फंसाया गया है व परिवादी पक्ष द्वारा उनकी मारपीट की गई थी, जिसका क्रॉस केस दर्ज कराया गया था जिसकी एफआईआर संख्या 414/21 थाना नई मण्डी में दर्ज है एवं क्रॉस केस से बचने के लिए परिवादी द्वारा उनके विरुद्ध झूंठा मुकदमा दर्ज कराया है तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करने से इनकार किया।

05– बहस उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है–

1. क्या अभियुक्त रामवीर ने अन्य सहअभियुक्तगण गुड्डी व सीमा के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनांक 30.07.2021 को समय दिन के करीब 12 बजे पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन के क्षेत्राधिकार में स्थित मौजा महू इब्राहिमपुर के आम रास्ते पर मुलजिमान व मुस्तगीस के मकानों के सामने खाली पड़ी शामलाती जगह में पीपल के पेड़ के पास परिवादी बलवान व उसके परिवारजन का सदोष अवरोध कारित कर उनके साथ मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की एवं लोकशान्ति भंग होना संभाव्य होना जानते हुए भी उनके साथ गाली–गलौच कर उन्हें साशय अपमानित किया ?

2. यदि हां, तो दण्ड की उचित मात्रा क्या होगी ?

06– उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी का दौराने बहस यह निवेदन रहा है कि हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये गवाहान ने परिवादी के इस्तगासा में अंकित तथ्यों की पुष्टि की है। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध

आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित हैं। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर कडी से कडी से सजा दी जावे।

07– उक्त बहस के विरोध में विद्धान अधिवक्ता अभियुक्तगण का निवेदन रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित सभी गवाहान हितबद्ध साक्षी हैं, जिनकी साक्ष्य में भारी विरोधाभास हैं तथा अभियोजन की ओर से पेश की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं है। अतः अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किये जाने का निवेदन किया। दौराने बहस अभियुक्तगण अधिवक्ता द्वारा कथन किए गए हैं कि परिवादी द्वारा क्रॉस केस से बचने के लिए झूंठा मुकदमा दर्ज कराया गया है जिसके संबंध में क्रॉस केस की चार्जशीट एफआईआर नम्बर 414/21 व क्रॉस केस के परिवादीगण रामवीर, सीमा, गुड्डी व चन्द्रवती की एमएलआर की प्रमाणित प्रतियां पेश किए गए हैं।

08– बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। उक्त विचारणीय बिन्दु को साबित करने के लिए अभियोजन की ओर से **कुल 04 गवाहान** को साक्ष्य में परीक्षित करवाया गया, जिनमें स्वयं **परिवादी/मजरूब बलवान** न्यायालय के समक्ष **पीड.03** के तौर पर परीक्षित हुआ है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 23.07.2021 को दोपहर के 12 बजे वह, उसकी मां राजकुमारी व जोगेन्द्र घर पर थे। उसके चाचा जोगेन्द्र की भैंस रामवीर के खेत में चली गई इसी बात को लेकर रामवीर, चंद्रवती, सीमा, गुड्डी वगै0 उनके घर आये। आते ही गाली गलौच करने लग गये। उसकी मां ने गाली देने से मना किया तो नाराज हो गये और उनके साथ लाठी–डंडों व थाप–मुक्क्रों से मारपीट की। रामवीर ने उसकी मां के पीठ में लाठी मारी। उनके कपडे फाडकर उन्हें बेअदब कर दिया। सीमा व गुड्डी ने उसकी मां के साथ थाप–मुक्कों से मारपीट की। वह बचाने आया तो उसके रामवीर ने दाहिने पैर में लाठी की चोट मारी। फिर चाचा जोगेन्द्र बचाने आये तो उसके भी हाथ में रामवीर ने लाठी मारी। उन्होंने घटना की रिपोर्ट थाने में दी थी पर दर्ज नहीं हुई तो उन्होंने इस्तगासा पेश किया। इस्तगासा प्रदर्श पी.6 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी.4 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी चोटों का मेडिकल मुआयना हुआ था। उसकी एमएलआर प्रदर्श पी.2 है जिसपर सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त गवाह ने अपनी **प्रतिपरीक्षा** में इस बात से इनकार किया है कि उसने नक्शे मौके पर हस्ताक्षर थाने पर किये हो। पहले रामवीर वगै0 ने मुकदमा दर्ज कराया था। रामवीर और वे एक ही परिवार के थे। यह सही है कि अगर रामवीर मुकदमा दर्ज नहीं कराता तो वे भी मुकदमा दर्ज नहीं कराते एवं क्रास केस से बचने के लिए मुकदमा कराया हो। यह सही है कि अरूण, बलवान व जोगेन्द्र के विरूद्ध भी मुकदमा चल रहा है। यह सही है कि उसके शरीर पर एक चोट आई थी जो दाहिने पैर पर आई थी और बांये पैर पर कोई चोट नहीं आई थीं। यह कहना गलत है कि वह झूंठे बयान

दे रहा है एवं वह मोटरसाइकिल से गिर गई हों जिससे उसके चोटें आई हों।

गवाह **पीड.02 राजकुमारी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से लगभग पांच साल पहले दिन के 12 बजे वह घर पर थी। उसके देवर जोगेन्द्र की भैंस रामवीर के खेत में चली गई इसी बात को लेकर रामवीर, सीमा, गुड्डी वगै0 उनके घर आये। उसने कहा कि ये तो जानवर हैं चले जाते हैं तो इसी बात पर वो नाराज हो गये और उसके साथ गाली गलौच करने लगे। रामवीर ने उसके पीठ में डंडे की चोट मारी। सीमा व गुड्डी ने उसके साथ थाप–मुक्कों से मारपीट की। उसका लडका बलवान बचाने आया तो उसके रामवीर ने दाहिने पैर में लाठी की चोट मारी। फिर उसका जोगेन्द्र बचाने आया तो उसके भी हाथ में रामवीर ने लाठी मारी। उसकी चोटों का मेडिकल मुआयना हुआ था। उसकी एमएलआर प्रदर्श पी.3 है जिसपर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी अंकित है। पुलिस ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया था जो प्रदर्श पी.4 है जिसपर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी अंकित है। उसके न्यायालय में 164 सीआरपीसी के बयान हुये थे जो प्रदर्श पी.5 हैं जिसपर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी अंकित है। उक्त गवाह ने अपनी **प्रतिपरीक्षा** में जाहिर किया है कि रामवीर ने पहले मुकदमा दर्ज कराया था। यह सही है कि अगर रामवीर मुकदमा दर्ज नहीं कराता तो वे भी मुकदमा दर्ज नहीं कराते। यह कहना गलत है कि वकील साहब ने मुकदमा तैयार किया हो एवं वह मोटरसाइकिल से गिर गई हों जिससे उसके चोटें आई हों। यह सही है कि उससे बचने के लिए उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। यह कहना गलत है कि वह झूंठे बयान दे रही है। यह सही है कि अरूण, बलवान व जोगेन्द्र के विरूद्ध भी मुकदमा चल रहा है एवं उसके शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं आई थी।

गवाह **पीड.01 डॉ. रामनरेश** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 04.08.2021 को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय चिकित्सालय हिण्डौनसिटी में कार्यरत था। उस दिन पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन पर पुलिस की तहरीर पर मजरूब जोगेन्द्रसिंह पुत्र रामसिंह उम्र 35 साल जाति जाट निवासी महू इब्राहिम पुर के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया जिसके निम्न चोटें पाई गई– 1. नीलगू व सूजन 3 गुणा 2 सेमी दांये हाथ पर व कमर में दर्द की शिकायत कोई जाहिरा चोट नहीं। चोट नम्बर 1 सामान्य प्रकृति की व कुन्दालय हथियार से आना पाई गई। चोट की समयावधि 04 से 07 दिन के अंदर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी1 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं व सी से डी मजरूब के हस्ताक्षर हैं। कॉलम संख्या 6 में मजरूब के शरीर पर पहचान चिह्न अंकित है। उसी दिन बलवान पुत्र सतवीरसिंह उम्र 25 साल जाति जाट निवासी महू इब्राहिम पुर के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया जिसके निम्न चोटें पाई गई–1. नीलगू व सूजननुमा 4 गुणा 2 सेमी बांये टकने पर। चोट नम्बर 1 सामान्य प्रकृति की व कुन्दालय हथियार से आना पाई गई। चोट की समयावधि 04 से 07 दिन के अंदर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी2 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं व सी से डी मजरूब के हस्ताक्षर हैं। कॉलम संख्या 6 में मजरूब के शरीर पर पहचान चिह्न अंकित है। उसी दिन राजकुमारी पत्नी सतवीर उम्र 45 साल जाति जाट निवासी महू इब्राहिम पुर के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया जिसके निम्न चोटें पाई

गई–मजरूबा पीठ में दर्द होना बता रही थी, कोई जाहिरा चोट नहीं थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 3 है जिसपर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर मजरूबा की अंगूठा निशानी है। कॉलम संख्या 6 में मजरूबा के शरीर पर पहचान चिह्न अंकित है। उक्त गवाह ने अपनी **प्रतिपरीक्षा** में जाहिर किया है कि वे एमएलआर में आरटी एक्सीडेंट में आना लिखते हैं पर झगडे बाबत् नहीं लिखते हैं। वे झगडे की हिस्ट्री नहीं लिखते। यह कहना गलत है कि उसने प्रदर्श पी.1, पी.2 व पी.3 गलत तैयार की हो।

गवाह **पीड.04 प्रेमसिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 04.08.2021 को नई मण्डी हिण्डौन पर एएसआई के पद पर तैनात था। उक्त दिनांक को एक इस्तगासा बलवान सोलंकी पुत्र सतवीरसिंह उम्र 25 साल निवासी महू इब्राहिमपुर थाना नई मण्डी हिण्डौनसिटी का श्रीमान न्यायालय से जरिये डाक थाना डीओ महेन्द्रसिंह एसआई को प्राप्त हुआ जिसपर मुकदमा नम्बर 424/2021 अंतर्गत धारा 147, 323, 325, 354बी, 452 आईपीसी में दर्ज कर तफ्तीश एएसआई को सुपुर्द की थी। इस्तगासा प्रदर्श पी.6 है जिसपर ए से बी मुस्तगीस के हस्ताक्षर हैं व सी से डी कार्यवाही पुलिस का नोट अंकित है व इ से एफ थाना डीओ महेन्द्रसिंह एसआई के हस्ताक्षर हैं। चाक एफआईआर प्रदर्श पी.7 है जिसपर ए से बी थाना डीओ महेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर हैं जिनको वह साथ कार्य करने से पहचानता है। उसके द्वारा प्रकरण में घटनास्थल की कार्यवाही दिनांक 06.08.2021 को की। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी.4 पर ए से बी मुस्तगीस के हस्ताक्षर हैं व सी से डी गवाह जोगेन्द्र व इ से एफ उसके हस्ताक्षर हैं व एक्स स्थान पर गवाह राजकुमारी की अंगूठा निशानी अंकित है। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा गवाह बलवान, जोगेन्द्र, रविन्द्रसिंह, राजकुमारी के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। दौराने अनुसंधान मजरूबान जोगेन्द्रसिंह, बलवान व राजकुमारी की एमएलआर शामिल पत्रावली किये गये। मजरूबा राजकुमारी के धारा 164 सीआरपीसी के बयान लिये जाकर शामिल पत्रावली किये। संपूर्ण अनुसंधान से आरोपी रामवीर, श्रीमती गुड्डी व सीमा के विरूद्ध धारा 323, 341, 504/34 आईपीसी में अपराध प्रमाणित पाये जाने पर तफ्तीश पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु थानाधिकारी महोदय श्री दिनेशचंद जी के समक्ष पेश की गई जिनके द्वारा प्रकरण में चार्जशीट किता कर न्यायालय में पेश की गई। चार्जशीट के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी थानाधिकारी दिनेशचंद जी के हस्ताक्षर हैं जिन्हें वह उनके अधीनस्थ कार्य करने से पहचानता है। उक्त गवाह ने अपनी **प्रतिपरीक्षा** में इस बात को स्वीकार किया है कि उक्त प्रकरण का क्रास केस दर्ज हुआ था जिसकी एफआईआर नम्बर 414/21 थाना नई मण्डी है जिसकी तफ्तीश उसके द्वारा की गई है जिसमें उसने जोगेन्द्र, बलवान व अरूण को मुलजिम माना। यह सही है कि उक्त प्रकरण के आरोपी रामवीर द्वारा पर्चा बयान पर मुकदमा पहले दर्ज हुआ था एवं मुस्तगीस ने थाने पर कोई रिपोर्ट नहीं दी थी, इस्तगासा के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया। यह सही है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद दिनांक 04.08.2021 को मेडिकल करवाया था एवं दोनों पक्ष परिवारजन हैं। यह सही है कि खेतों में भैंस जाने के उपर झगडा हुआ था एवं मुस्तगीस की भैंस मुलजिमान के घरों में घुस आने के उपर झगडा हुआ था।

09– इस प्रकार प्रकरण में परीक्षित समस्त गवाहान द्वारा किए गए कथनों के अवलोकन से यह जाहिर आता है कि उक्त घटना का क्रास केस परिवादी पक्ष के विरूद्ध दर्ज है तथा इस प्रकरण में जो परिवादी पक्ष है वह क्रास केस में मुलजिम है तथा इस प्रकरण के मुलजिम क्रास केस में परिवादी हैं। परिवादी बलवान के इस्तगासा प्रदर्श पी.06 के आधार पर यह प्रकरण संस्थित हुआ है तथा उक्त गवाह/मजरूब द्वारा अपने न्यायालय बयान में अपने इस्तगासा प्रदर्श पी.06 के तथ्यों की पुष्टि की गई है। मजरूब बलवान द्वारा अपने बयानों में स्पष्ट कथन किए गए हैं कि दिनांक 23.07.2021 को दोपहर 12 बजे वह, उसकी मां राजकुमारी व जोगेन्द्र घर पर थे तब जोगेन्द्र की भैंस रामवीर के खेत में चली गई थी, इसी बात को लेकर रामवीर, सीमा व गुड्डी उनके घर आए और आते ही गाली गलौच करने लगे तथा राजकुमारी ने गाली देने से मना किया तो उनके साथ लाठी, डण्डों व थाप–मुक्कों से मारपीट की एवं रामवीर ने उसकी मां के पीठ में लाठी मारी तथा सीमा व गुड्डी ने उसकी मां राजकुमारी के साथ थाप–मुक्कों से मारपीट की एवं वह बचाने आया तो रामवीर ने उसके पैर में लाठी की चोट मारी तथा चाचा जोगेन्द्र बचाने आए तो उनके हाथ में भी रामवीर ने लाठी की मारी। उक्त गवाह द्वारा जिरह में स्वीकार किया गया है कि अरुण, बलवान व जोगेन्द्र के विरुद्ध भी मुकदमा चल रहा है तथा उसके शरीर पर एक चोट आई थी जो दाहिने पैर पर आई थी और बांए पैर पर कोई चोट नहीं आई। इसी प्रकार मजरूबा राजकुमारी द्वारा परिवादी बलवान के कथनों की ताईद अपने बयानों में की गर्इ है तथा स्वयं के न्यायालय में हुए धारा 164 दंप्रसं प्रदर्श पी.05 के कथनों की तार्इद कर कथन किए गए हैं कि लगभग 05 साल पहले दिन के 12 बजे वह घर पर थी तब जोगेन्द्र की भैंस रामवीर के खेत में चली गई थी और इसी बात को लेकर रामवीर, सीमा व गुड्डी ने उनके घर आकर उनसे गाली गलौच की थी व रामवीर ने उसकी पीठ में डण्डे की चोट मारी तथा सीमा व गुड्डी ने थाप मुक्कों से मारपीट की एवं बलवान बचाने आया तो रामवीर ने उसके पैर में लाठी की चोट मारी व जोगेन्द्र बचाने आया तो उसके हाथ में रामवीर ने लाठी मारी। उक्त गवाह द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि अरुण, बलवान व जोगेन्द्र के विरुद्ध मुकदमा चल रहा है तथा उसके शरीर पर कोई जाहिरा चोट नहीं आई थी। हालांकि पत्रावली पर मौजूद परिवादी बलवान व मजरूबा राजकुमारी द्वारा जिरह में कथन किए गए हैं कि रामवीर ने पहले मुकदमा दर्ज कराया था एवं इस बात को स्वीकार किया है कि अगर रामवीर मुकदमा दर्ज नहीं कराता तो वे भी मुकदमा दर्ज नहीं कराते तथा क्रॉस केस से बचने के लिए यह मुकदमा कराया। उक्त कथनों के संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि हर व्यक्ति घटना घटित होने पर अपना बचाव करता है तथा मात्र परिवादी व मजरूब के ये स्वीकार कर लेने से कि उनके द्वारा क्रॉस केस से बचने के लिए यह मुकदमा दर्ज किया गया है, यह नहीं माना जा सकता कि उनके साथ कोई घटना कारित नहीं हुई हो जबकि उनके द्वारा उनके साथ घटना कारित होने के संबंध में संदेह से परे कथन अपने बयानों में किए गए हैं। साथ ही न्यायालय के विनम्र मत में आहत व्यक्तियों की किसी साक्ष्य पर न्यायालय को तब तक भरोसा करना चाहिये जब तक कि न्यायालय के समक्ष गंभीर विरोधाभास के आधार पर उस गवाह के बयानों पर अविश्वास करने का कोई मजबूत कारण नहीं हो। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर

आता है कि प्रकरण में परीक्षित गवाह बलवान व राजकुमारी के कथन अखण्डनीय रहे हैं तथा उक्त गवाहों द्वारा एक–दूसरे के कथनों की पूर्णतः ताईद की गई है। प्रकरण में परीक्षित अनुसंधान अधिकारी प्रेमसिंह द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि उक्त प्रकरण का क्रॉस केस दर्ज हुआ था जिसकी एफआईआर नम्बर 414/21 थाना नई मण्डी है जिसकी तफ्तीश उसके द्वारा की गई थी जिसमें उसने जोगेन्द्र, बलवान व अरुण को मुलजिम माना था। परिवादी बलवान व राजकुमारी द्वारा स्पष्ट कथन किए गए हैं कि भैंसों के खेत में घुसने को लेकर झगड़ा हुआ था जिसकी ताईद अनुसंधान अधिकारी प्रेमसिंह के कथनों से होती है जिसके द्वारा भी जिरह में इस बात को स्वीकार किया गया है कि खेतों में भैंस जाने के उपर झगड़ा हुआ है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में गवाह/मजरूब जोगेन्द्र की मृत्यु हो जाने से वह न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त मजरूबान बलवान व राजकुमारी के आई उक्त चोटों के सन्दर्भ में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह डॉ. रामनरेश द्वारा मजरूबान की चोटों का मेडिकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन क्रमशः प्रदर्श पी.02 व प्रदर्श पी.03 मुर्तिब किया गया है, जिसके अनुसार उक्त मजरूब बलवान के बांए टखने पर सूजन व नीलगू निशान एवं मजरूबा राजकुमारी के पीठ में दर्द होना अंकित है। उक्त मजरूबान के आई हुई चोटें सामान्य प्रकृति की होकर कुन्दालय से कारित पाई गई। इस प्रकार मजरूबान के शरीर में आई उक्त चोटों की पुष्टि चिकित्सीय साक्षी द्वारा किए गए कथनों से स्पष्टतः होती है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि "किसी भी मामले में परिवादी/मजरूब/पीड़ित की एकल साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धी का निष्कर्ष निकाला जा सकता है, बशर्ते उक्त गवाह की साक्ष्य अक्षुण्ण प्रकृति (Sterling Quality) की होनी चाहिए तथा किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होती।" ऐसी स्थिति में परिवादी बलवान व मजरूबा राजकुमारी की साक्ष्य से अभियुक्तगण रामवीर, गुड्डी व सीमा द्वारा गाली गलौच कर मारपीट करने का तथ्य बखूबी साबित होता है। साथ ही यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण रामवीर, गुड्डी व सीमा की ओर से कोई भी साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश नहीं की गई है। इस प्रकार समस्त अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 504 सपठित धारा 34 भादंसं. युक्तियुक्त संदेह से परे साबित होता है।

10– अतः उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है कि अभियुक्त रामवीर ने अन्य सहअभियुक्तगण गुड्डी व सीमा के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनांक 30.07.2021 को समय दिन के करीब 12 बजे पुलिस थाना नई मण्डी हिण्डौन के क्षेत्राधिकार में स्थित मौजा महू इब्राहिमपुर के आम रास्ते पर मुलजिमान व मुस्तगीस के मकानों के सामने खाली पड़ी शामलाती जगह में पीपल के पेड़ के पास परिवादी बलवान व उसके परिवारजन का सदोष अवरोध कारित कर उनके साथ मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की एवं लोकशान्ति भंग होना संभाव्य होना जानते हुए भी उनके साथ गाली–गलौच कर उन्हें साशय अपमानित किया।

अतः अभियुक्तगण रामवीर, गुड्डी व सीमा को अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 504 सपठित धारा 34 भादसं. के आरोप में दोषिसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

11– अतः अभियुक्तगण 1. रामवीर पुत्र श्री अतरसिंह, उम्र 40 साल, 2. श्रीमती गुड्डी पत्नी रामवीर, उम्र 38 साल व 3. श्रीमती सीमा पत्नी श्यामवीर, उम्र 37 साल, निवासीगण महू इब्राहिमपुर, थाना नई मण्डी हिण्डौन, जिला करौली को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 341, 504 सपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(पूजा मीना)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, हिण्डौन सिटी
जिला करौली।

सजा के प्रश्न पर सुना गया

12– सजा के प्रश्न पर विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। लिहाजा अभियुक्तगण के विरुद्ध नरमी का रुख अपनाया जाकर उन्हें परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। इसके विपरीत सहायक अभियोजन अधिकारी ने अभियुक्तगण को उचित दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया।

13– उभय पक्षकारान द्वारा दिए गए तर्कों पर गौर किया। पत्रावली का पुनः अवलोकन किया। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय को आश्वस्त किया गया है कि वे भविष्य में अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को तुरंत सजा के दण्ड से दण्डित किए जाने के स्थान पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 व 12 का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही अभियुक्तगण पर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत अभियोजन व्यय अधिरोपित किया जाना भी उचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

14– अतः अभियुक्तगण 1. रामवीर पुत्र श्री अतरसिंह, उम्र 40 साल, 2. श्रीमती गुड्डी पत्नी रामवीर, उम्र 38 साल व 3. श्रीमती सीमा पत्नी श्यामवीर, उम्र 37 साल, निवासीगण महू इब्राहिमपुर, थाना नई मण्डी हिण्डौन, जिला करौली को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 341, 504 सपठित धारा 34 के तहत दोषी पाये जाने पर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 का लाभ देते हुए सम्यक भर्त्सना देकर रिहा किया जाता

है, साथ ही अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रत्येक अभियुक्त पर 300/– रुपए अभियोजन व्यय के रूप में अधिरोपित किए जाते हैं। अभियुक्तगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 का लाभ दिया जाता है। इस दोषसिद्धि का अभियुक्तगण के भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा तथा वे किसी प्रकार की निरर्हता से ग्रसित नहीं होंगे।

अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वे धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 20,000/–रुपए की जमानत व इसी राशि का मुचलका पेश कर तस्दीक करावें, जो छह माह तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे। अभियुक्तगण के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(पूजा मीना)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, हिण्डौन सिटी
जिला करौली।

15– निर्णय आज दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उसके द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(पूजा मीना)
न्यायाधिकारी
ग्राम न्यायालय, हिण्डौन सिटी
जिला करौली।